फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

–नाथी देवी मेमोरियल शिक्षण संस्थान प्रतिवादी–तहसीलदार फागी

संख्या :21/2017 वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

...या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		–:निर्णय:– आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। तहसीलदार फागी की ओर से पैरोकार राज0 उप0। पूर्व में प्रतिवादीं तहसीलदार फागी की ओर से जवाब प्रस्तुत है। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी शिक्षण संस्थान की आराजी भूमि खसरा नंबर 677/7 रकबा 02 बीघा ग्राम रेनवाल, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है। वादी ने उक्त कृषि भूमि अजीत सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु क्रय किया था, क्रय करने के बाद वादी ने उक्त आराजी पर शिक्षण संस्थान स्थापित कर सुचारू रूप से चलाता आ रहा है। शिक्षण संस्थान अजीत मेमोरियल शिक्षण संस्थान के स्थान पर नया नाम श्रीमती नाथी देवी मेमोरियल शिक्षण संस्थान नाम परिवर्तित कर लिया गया है जिसका रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रार संस्था जयपुर में करा लिया जिसके रजिस्ट्रशन संख्या 135/2010–11 है जिससे भी स्पष्ट अंकित किया है कि अजीत सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान जयपुर अब इस संस्था का नाम परिवर्तन कर श्रीमती नाथी देवी मेमोरियल शिक्षण संस्थान कर दिया गया है। न्यायहित में अजीत सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान के स्थान पर श्रीमती नाथी देवी मेमोरियल शिक्षण संस्थान का नाम दुरूस्त किया जावे। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र हजारी लाल चौधरी पुत्र भैरूराम इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन फोटो प्रति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 16.07.2013 से साबित पाया जाता है कि वादी शिक्षण संस्थान में अपना नाम अजीत सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान के स्थान पर श्रीमती नाथी देवी मेमोरियल शिक्षण संस्थान करवा लिया है एवं वादी संस्था को अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है न्यायहित में वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 677/7 रकबा 02 बीघा ग्राम रेनवाल, तहसील फागी, जिला जयपुर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज अजीत सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान को हजफ किया जाकर इसके स्थान पर श्रीमती नाथी देवी मेमोरियल शिक्षण संस्थान दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सावन कुमार चायल) उपखण्ड अधिकारी फागी	

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner